रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263066
CG-DL-E-13052025-263066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947
No. 2077] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

का.आ. 2122(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (पैन AAAGT0080Q) जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अंतर्गत तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, जो उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:

(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अंतर्गत प्राप्त सहमति शुल्क;

(ख) विश्लेषण शुल्क या वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण शुल्क या ध्वनि स्तर सर्वेक्षण शुल्क पर;

(ग) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;

(घ) प्राधिकरण शुल्क;

(ङ) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील शुल्क;

(च) राज्य या केन्द्र सरकार से अनुदान;

(छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;

(ज) कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज;

(झ) निविदा शुल्क आदि जैसी विविध आय;

(ञ) गैर-अनुपालन के लिए दंड और बैंक गारंटी का आह्वान; तथा

(ट) उपरोक्त (क) से (ञ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड–

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में भी लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 47 /2025/फा. सं. 300196/11/2023-आईटीए-I]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2025

S.O. 2122(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Telangana State Pollution Control Board' (PAN AAAGT0080Q), a Board constituted by the State Government of Telangana under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) consent fees received under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(b) analysis fees or air ambient quality survey fees or noise level survey fees;

(c) reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards National Water Quality Monitoring Programme and National Air Quality Monitoring Programme like schemes;

(d) authorisation fees;

(e) cess reimbursement and cess appeal fees;

(f) grants from State or Central Governments;

(g) fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(h) interest on loans and advances given to staff ;

(i) miscellaneous income like tenders fees etc.;

(j) penalties for non-compliance and invoking of Bank Guarantees; and

(k) interest earned on (a) to (j) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Telangana State Pollution Control Board,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for financial years 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and shall also apply with respect to the financial year 2025-26.

[Notification No. 47 /2025/F. No. 300196/11/2023-ITA-I]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being affected adversely by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA